**सामूहिक धर्मान्तरण की समस्या**

2355. **श्री नरेन्द्र मोहन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सामूहिक धर्मान्तरण की समस्या के सबंधं में जानकारी है,

(ख) क्या सरकार इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वर्ष 1950 में स्वयं द्वारा गठित समिति के निष्कर्षो से सहमत है, और

(ग) किन कारणों से पिछली सरकारों ने इस समिति के निष्कर्षो के आधार पर सामूहिक धर्मान्तरण को रोकने की आवश्यकता को महत्व नहीं दिया?

**गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :** (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार, सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की ओर धर्म के अवाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है बशर्ते कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य प्रभावित न हों। चूंकि "लोक व्यवस्था" संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की सूची-II की मद संख्या – । पर हैं, अतः धर्म परिवर्तन से संबंधित समस्याओं से निपटना राज्य सरकारों का कार्य हैं।

(ख) सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करने की समस्या का हल खोजने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 1950 में किसी समिति का गठन नहीं किया गया था

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

**Fake Employment Bureau**

2356. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints about operation of several fake employment bureau and companies registering job seekers, with false promises of securing them jobs abroad, collecting huge sums as fees and duping them of their hard earned savings and collections;

(b) if so, what steps have been taken for regulating their operations properly and screening out the fake companies; and

(c) the number of persons reported to have been so duped during 1997,1998 and 1999, so far?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Drug abuse by children in Delhi**

2357.SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA:
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 75 per cent of the Capital's street children are victims of drug abuse;

(b) whether a few months ago, the Juvenile Justice Welfare Board had issued an order, directing the Delhi police to round up street children from Delhi roads and to produce them before the Board; and

(c) if so, how many children have been apprehended by the Delhi Police and the action taken against them?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) The Government of the National Capital Territory of Delhi have reported that they have not carried out any specific study on this subject. However, none of the 175 child beggars picked up by Delhi Police during last six months upto 28th February, 1999 was found in possession on drugs.

(b) Juvenile Welfare Board, Delhi had in its order dated the 13th November, 1998, inter-alia, directed Delhi Police and other agencies concerned to pick up the child-beggars in Delhi and produce them before the Board for appropriate orders.

(c) Delhi Police picked up 175 child beggars during the last six months upto 28th February, 1999 and they were sent to juvenile homes.

**विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा**

2358. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में विदेशी पर्यटकों के साथ छेड़छाड़, धोखाधड़ी और राहजनी की वारदातें आम हो गई हैं

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या यह सच है कि राजस्थान में किसी आस्ट्रेलियाई महिला के साथ दुर्व्यवहार जैसे कई मामलों में अक्सर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और

f (घ) सरकार पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

**गृह मंत्री (श्रीलाल कृष्ण आडवाणी) :** (क) से (घ) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण, यह मुख्यतया, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, कि वे विदेशी पर्यटकों के सरंक्षण और सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय करें। केन्द्रीय सरकार, विदेशी पर्यटकों के साथ हुई छेड़छाड़, धोखाधड़ी इत्यादि संबंधी घटनाओं के आंकड़े अनन्य रूप से नहीं रखती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को उनकी पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने हेतु सलाह भेजने के अतिरिक्त, वित्तीय सहायता भी देती रही हैं।

**Weapons confiscated from Terrorists**

2359. SHRI SATISHCHANDRA SITARAM PRADHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state how many weapons have been confiscated from the terrorists, ghuspethias during the last two years?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): As per available reports, the following numbers of weapons have been recovered from terrorists/ghuspethias during the years 1997 and 1998:—

| State | 1997 | 1998 |
|---|---|---|
| *Jammu and Kashmir* | | |
| AK Series | 2059 | 1588 |
| Anti-aircraft guns | 1 | 1 |
| Pika guns | 41 | 25 |
| Missile launchers | 5 | 12 |
| Rocket launchers | 177 | 315 |
| Grenade launchers | 69 | 93 |
| Rockets | 728 | 795 |
| Rocket Boosters | 216 | 282 |
| Mortars | 19 | 22 |
| *Punjab* | | |
| AK Series | 8 | 15 |
| Carbine/Sten/SLR/ALR | 4 | — |
| Rifles/Guns | 10 | 10 |
| Pistol/Revolver/Mouser | 55 | 52 |
| Rockets | 2 | 84 |
| *Assam* | 134 | 191 |
| *Meghalaya* | 4 | — |
| *Manipur* | 211 | 95 |
| *Nagaland* | 63 | 27 |
| *Tripura* | 95 | 154 |

**भारत में शरणार्थी**

2360. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत ने शरणार्थियों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के 1951 एंव 1957 के परिनियमों (चार्टर) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि भार में शरणार्थियों से संबंधित कानून काफी पुराने हैं, और

(ग) यदि हां, तो भारत में अभी कितने शरणार्थी हैं और क्या सरकार इन नियमों को संशोधित करेगी ?

**गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी ) :** (क) भारत ने , सयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिस पर 26 जून, 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे तथापि शरणार्थियों के दर्जे पर 1951 में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और इस सम्मेलन के 1967 के प्रोटोकोल पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(ख) से (ग) शरणार्थियों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए कानूनी विरचना, भारत के संविधान के संबंधित उपबन्धों, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों के अन्तर्गत भारत द्वारा स्वीकार की गई बाध्याताओं, विशेष रूप से सिविल और राजनैतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं और अनेक न्यायिक उदघोषणाओं इत्यादि में दी गई है।

31.1.1999 की स्थिति के अनुसार भारत में, 93,100 तिब्बती और 93,000 श्री लंकाई शरणार्थी रह रहे थे। इसक अतिरिक्त, यू.एन.एच.सी.आर. अधिदेश अन्तर्गत भारत में निम्निलिखित श्रेणी के व्यक्ति रह रहे थे:-

| | |
|---|---|
| अफगानी | 15,917 |
| वर्मी | 591 |
| सोमाली | 178 |
| ईरानी | 183 |
| सूडानी | 86 |
| अन्य | 71 |
| | 17,026 |

इस समय, शरणार्थियों से संबंधित कानूनों को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।